औद्योगिक इकाइयों को 116 करोड़ का अनुदान

राज्य ब्यू, लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार की शुक्रवार को लोक भवन में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इनमें उच्च शिक्षा विभाग के पांच, गृह तथा औद्योगिक विकास विभाग के तीन-तीन, पर्यटन विभाग व कृषि विभाग के दो-दो और खाद्य एवं रसद विभाग, वित्त विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग व हथकरघा विभाग के एक- एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 व औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में किए गए वादों पर अमल करते हुए राज्य सरकार सात मेगा परियोजनाओं को 116.06 करोड़ की वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेगी।

कैबिनेट ने निर्धारित निवेश एवं वाणिज्यिक उत्पादन के उपरांत मैसर्स जेके सीमेंट, अलीगढ़ को 34.39 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधाएं वितरित करने के प्रस्ताव

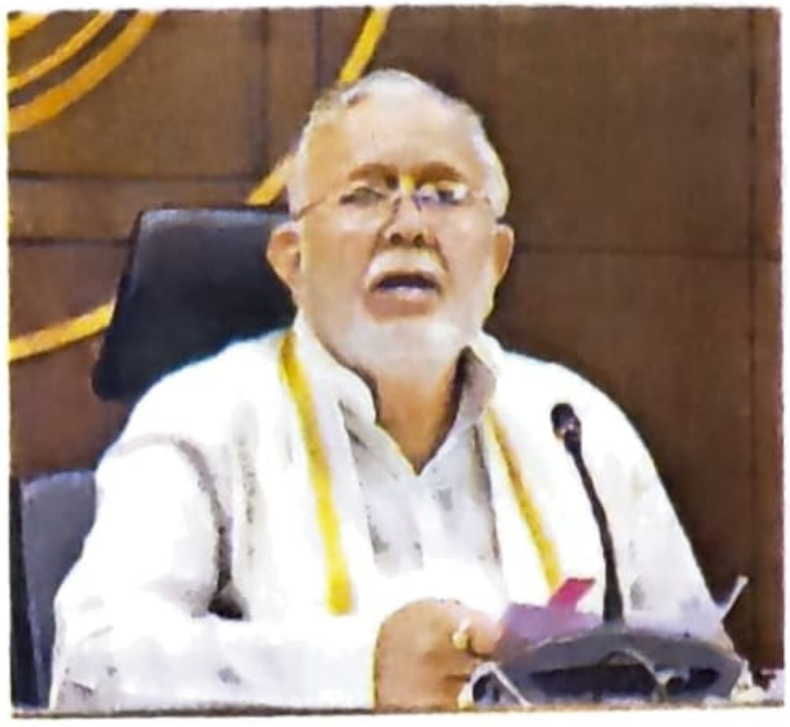

मंत्री परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ● जागरण

को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इसी कड़ी में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत छह औद्योगिक इकाइयों को 111.67 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने लेटर आफ कंफर्ट जारी करने की अनुमति दी। इनमें मैसर्स पसवारा पेपर्स, मेरठ को 12.55 करोड़, वरुण बेवरेजेज लिमिटेड, संडीला को 8.53 करोड़, गैलेंट इस्पात लिमिटेड गोरखपुर को 15.97 करोड़, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्रा. लि. कानपुर देहात को 3.66 करोड़, आरसीसीपीएल प्रा. लि. रायबरेली को 46.29 करोड़ और मैसर्स श्री सीमेंट बुलंदशहर को 24.29 करोड़ रुपये की राशि का लेटर आफ कंफर्ट जारी किया गया।

हीरो मोटर्स के भूमि पट्टे को अवधि विस्तार: मैसर्स हीरो मोटर्स लिमिटेड को गवर्नमेंट एक्ट 1895 के अधीन दिए गए भूमि के पट्टे का नवीनीकरण करते हुए अगले 30 वर्षों के लिए लीज की अवधि का विस्तार किया गया है। कैबिनेट ने 29 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2052 तक लीज अवधि को विस्तार देने के गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन के प्रस्ताव को शुक्रवार को स्वीकृति प्रदान की। 305.45 रुपये की दर से वार्षिक किराया लिया जाएगा। हीरो मोटर्स को 29 जनवरी 1992 में 30 वर्षों के लिए भूमि पट्टा दिया गया था।